

महाराष्ट्र वधानसभा द्वारा मराठों के लिये 16% कोटा को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र वधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मराठों के लिये 16% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक वधियक पारित किया। इसके साथ ही राज्य की 85% आबादी संवधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत संवैधानिक लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस वधियक की मंजूरी आरक्षण सीमा को वर्तमान के 52% से बढ़ाकर 68% तक कर देगी, इस प्रकार आरक्षण सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नशित किये गए 50% की सीमा को पार कर जाएगी।
- मराठों को 16% आरक्षण प्रदान करने के लिये 'उपयुक्त' सुझाव देते हुए यह वधियक व्यक्त करता है कि, "यह संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत असाधारण समाधान की मांग करने वाली एक असाधारण स्थिति है।"
- वधियक पारित होने की कार्यवाही की शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की सफारिशों पर एक कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) के साथ दोनों सदनों में वधियक पेश किया।
- इस मसौदा वधियक में कहा गया है कि, "महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया है। आयोग द्वारा रोजगार, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर सहित संपूर्ण अध्ययन किये जाने के आधार पर सरकार ने मराठों को सामाजिक-आर्थिक रूप से पछिड़े वर्ग (SEBC) के अंतर्गत रखने की घोषणा की है।"
- अधिनियम के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से पछिड़ा वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य के लिये क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के सिद्धांत को बनाए रखते हुए वधियक में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण केवल उन लोगों को उपलब्ध कराया जाए जो क्रीमी लेयर के 'नीचे' हैं।
- राज्य की आबादी में 30% का योगदान करने वाले इस समुदाय के लिये मसौदा वधियक में कहा गया है कि अकादमिक उत्कृष्टता की स्थिति में मराठों की उपस्थिति बहुत ही मामूली है।
- औसतन 4.30% अकादमिक और शिक्षण पद ही मराठा समुदाय के व्यक्तियों द्वारा धारित हैं और पारंपरिक डिग्री की कमी उन्हें माथाडी, हमाल, डब्बावाला इत्यादि जैसे कार्यों में नियोजित करती है।
- मसौदा वधियक में कहा गया है कि, "इस समुदाय के लगभग 70% लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, केवल 35.39% लोगों के पास व्यक्तिगत नल का पानी है तथा 31.79% लोग खाना पकाने के लिये लकड़ी के पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर निर्भर हैं। वर्ष 2013-18 के बीच हुई कुल 13,368 आत्महत्या के मुकाबले 2,152 मराठा किसानों ने आत्महत्या की है।"

संवधान में आरक्षण का प्रावधान

- संवधान के अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्याषन रखते हुए उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है।
- पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संवधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है।

स्रोत : द हिंदू